मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–800014
ईमेल– ce.pmg-bih@gov.in दूरभाष–0612–2215035

संचिका सं0:–ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)– 58 /पटना, दिनांकः– 25/05/2026

आदेश

लघु सिंचाई प्रमंडल, गयाजी अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–03/2024–25 के ग्रुप सं0–60 गुहिया पकाही एवं गांगो आहर पईन सिंचाई योजना का कार्य संवेदक श्री वीभा कुमारी,मो0–शिवपुर पो0–बुनियादगंज, थाना–मुफ्फसील, जिला–गयाजी, बिहार, पिनकोड–823003 (निबंधन सं0–MWRD1224C2IN5398,श्रेणी–2) को आवंटित होने के उपरांत कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया के पत्रांक–3555 दिनांक–24.06.2025 द्वारा कार्यादेश निदेश निर्गत किया गया, जिसके अन्तर्गत कार्य प्रारंभ करने की तिथि 24.06.2025 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 23.12.2025 तक निर्धारित है। संवेदक श्री वीभा कुमारी के द्वारा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 23.12.2025 समाप्त होने एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाई प्रमंडल, गयाजी द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गयाजी का पत्रांक–1481 दिनांक–13.04.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, गयाजी का पत्रांक–843 दिनांक–17.04.2026 द्वारा संवेदक को कालीकृत करने हेतु भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक–711 दिनांक–21.04.2026 द्वारा संवेदक श्री वीभा कुमारी को डिबार करने हेतु प्रस्ताव विहित प्रपत्र में सूचना के साथ अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–639 दिनांक–24.04.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। संवेदक का जबाव अबतक अप्राप्त है, जिससे स्पष्ट है कि उन्हे अपने पक्ष में कहने को कुछ भी नहीं है। कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि 23.12.2025 के बीत जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं किया जाना एकरारनामा में निहित शर्तों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्णित योजना का कार्य बार–बार निदेशित किये जाने एवं कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के समाप्ति के बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण सम्यक समीक्षोपरान्त संवेदक श्री वीभा कुमारी,मो0–शिवपुर पो0–बुनियादगंज, थाना–मुफ्फसील, जिला–गयाजी, बिहार, पिनकोड–823003 (निबंधन सं0–MWRD1224C2IN5398,श्रेणी–2) को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम 11 (क) के उप नियम (ii) में निहित प्रावधानों के तहत अगले आदेश तक निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक–   /पटना दिनांक–

प्रतिलिपि– श्री वीभा कुमारी,मो0–शिवपुर पो0–बुनियादगंज, थाना–मुफ्फसील, जिला–गयाजी, बिहार, पिनकोड–823003 (निबंधन सं0–MWRD1224C2IN5398,श्रेणी–2) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक– 775 /पटना, दिनांक– 25/05/2026

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, .../सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, .../सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, ...एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

25/5/26

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना